

**परिषद की
बरेली जोन के अन्तर्गत
नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण
से रिक्त आवासीय/व्यवसायिक
सम्पत्तियों का
आवंटन/नीलामी**

आवंटन/
नीलामी तिथि :
25.10.2019
समय
11:00 बजे



स्थल

कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त
(बरेली जोन) ऑफिस काम्पलेक्स, सिविल लाईन्स, बरेली

(अ) लाटरी झा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण।

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद 1 बीएचके फ्लैट (निरस्तीकरण/आवंटन से अवशेष)-फ्लैट्स का मानक क्षेत्रफल 34.07 वर्ग मीटर				
9ए/ब्लॉक-बी 1 /		मानक क्षेत्र		
तृतीय तल 9ए/301, 302, 304	03	34.07	1559000.00	78000.00
चतुर्थ तल 9ए/401, 403	02	34.07	1544000.00	77000.00
9ए/ब्लॉक-बी 2 /				
प्रथम तल 9ए/ 102, 103, 104	03	34.07	1590000.00	82000.00
द्वितीय तल 9ए/ 203, 204	02	34.07	1575000.00	80000.00
तृतीय तल 9ए/301, 302, 303, 304	04	34.07	1559000.00	78000.00
चतुर्थ तल 9ए/401, 402, 403, 404	04	34.07	1544000.00	77000.00
9ए/ब्लॉक-बी 3 /				
प्रथम तल 9ए/101, 102, 103, 104	04	34.07	1590000.00	82000.00
द्वितीय तल 9ए/201, 202, 203, 204	04	34.07	1575000.00	80000.00
तृतीय तल 9ए/301, 302, 303, 304	04	34.07	1559000.00	78000.00
चतुर्थ तल 9ए/401, 402, 403, 404	04	34.07	1544000.00	77000.00
2 बीएचके फ्लैट (निरस्तीकरण/आवंटन से अवशेष)-फ्लैट्स का मानक क्षेत्रफल 56.11 वर्ग मीटर				
9ए/ब्लॉक-19 /		मानक क्षेत्र		
द्वितीय तल 9ए/201, 202	02	56.11	2576000.00	129000.00
तृतीय तल 9ए/ 303, 304	02	56.11	2551000.00	128000.00
चतुर्थ तल 9ए/402	01	56.11	2526000.00	127000.00
9ए/ब्लॉक-20 /				
द्वितीय तल 9ए/201, 202	02	56.11	2576000.00	129000.00
तृतीय तल 9ए/301	01	56.11	2551000.00	128000.00
चतुर्थ तल 9ए/402, 403, 404	03	56.11	2526000.00	127000.00
9ए/ब्लॉक-21 /				
तृतीय तल 9ए/301, 302, 303	03	56.11	2551000.00	128000.00
चतुर्थ तल 9ए/ 401, 402, 403	03	56.11	2526000.00	127000.00

१ए/ब्लाक-२२ /				
प्रथम तल १ए/१०१ से १०४ तक,	०४	५६.११	२६०२०००.००	१३००००.००
द्वितीय तल १ए/२०१ से २०४ तक,	०४	५६.११	२५७६०००.००	१२९०००.००
तृतीय तल १ए/३०१ से ३०४ तक,	०४	५६.११	२५५१०००.००	१२८०००.००
चतुर्थ तल १ए/४०१ से ४०४ तक	०४	५६.११	२५२६०००.००	१२७०००.००
१ए/ब्लाक-२३ /				
प्रथम तल १ए/१०१ से १०४ तक,	०४	५६.११	२६०२०००.००	१३००००.००
द्वितीय तल १ए/२०१ से २०४ तक,	०४	५६.११	२५७६०००.००	१२९०००.००
तृतीय तल १ए/३०१ से ३०४ तक,	०४	५६.११	२५५१०००.००	१२८०००.००
चतुर्थ तल १ए/४०१ से ४०४ तक	०४	५६.११	२५२६०००.००	१२७०००.००
१ए/ब्लाक-२४ /				
प्रथम तल १ए/१०१ से १०४ तक,	०४	५६.११	२६०२०००.००	१३००००.००
द्वितीय तल १ए/२०१ से २०४ तक,	०४	५६.११	२५७६०००.००	१२९०००.००
तृतीय तल १ए/३०१ से ३०४ तक,	०४	५६.११	२५५१०००.००	१२८०००.००
चतुर्थ तल १ए/४०१ से ४०४ तक	०४	५६.११	२५२६०००.००	१२७०००.००

(ब) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण।

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में)/आरक्षित दर व.मी.	बयाना धनराशि/टोकन मनी (लाख में)
सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी				
अल्प आय वर्ग भवन (29/60 प्रकार) अनारक्षित-2/744	01	61.88 व.मी.	17.40	0.87
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद				
आवासीय भूखण्ड (171 व0मी0 से बड़े)				
अनारक्षित-ए/479	01	277.93	28560 प्र.व.मी.	3.97
अनारक्षित-ए/481	01	250.50	28560 प्र.व.मी.	3.58
अनारक्षित-ए/482	01	259.00	28560 प्र.व.मी.	3.70
अनारक्षित-ए/483	01	266.50	28560 प्र.व.मी.	3.81
अनारक्षित-ए/484	01	277.00	28560 प्र.व.मी.	3.96
बुद्धि विहार योजना, मुरादाबाद				
अल्प आय वर्ग भवन सं. 2/1081	01	60.59	18.70	0.95
मझोला योजना संख्या-4 भाग-2, मुरादाबाद				
57/128 सेमी फिनिश प्रकार आवासीय भवन (सामान्य मूल्यांकन)				
अनारक्षित - 12/33	01	129.23	4491500.00	2.25
आवासीय भूखण्ड (171 वर्ग मीटर से बड़े)				
अनुसूचित जाति- 7बी/01 कार्नर	01	312.50	26488.00	4.14
अनुसूचित जाति- 7बी/03	01	312.50	24080.00	3.77
अनुसूचित जाति- 10/127 कार्नर	01	230.00	26488.00	3.05
अनुसूचित जाति- 10/130	01	200.00	24080.00	2.41
अनुसूचित जाति- 10/132	01	200.00	24080.00	2.41
अनुसूचित जाति- 10/133	01	200.00	24080.00	2.41
अनुसूचित जाति- 10/48 वरिष्ठ नागरिक	01	200.00	24080.00	2.41
अनुसूचित जाति- 10/53	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-7बी/02	01	312.50	24080.00	3.77
अन्य पिछड़ा वर्ग-7बी/05	01	312.50	24080.00	3.77
अन्य पिछड़ा वर्ग- 10/134 वरिष्ठ नागरिक	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-10/141	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-10/142	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-10/144	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-10/145	01	200.00	24080.00	2.41
अन्य पिछड़ा वर्ग-10/11	01	300.00	24080.00	3.61
अनारक्षित- 7बी/04	01	312.50	24080.00	3.77
अनारक्षित- 7बी/5/1 आर.जी.एस.	01	212.50	24080.00	2.56
अनारक्षित- 10/128	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/129 वरिष्ठ नागरिक	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/131	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/143	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/146	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/147 एफ.एफ./एम.एफ./एम.एल.ए.	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/148 कार्नर	01	230.00	26488.00	3.05
अनारक्षित- 10/12	01	300.00	24080.00	3.62
अनारक्षित- 10/49	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/50	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/51	01	200.00	24080.00	2.41
अनारक्षित- 10/52 वरिष्ठ नागरिक	01	200.00	24080.00	2.41

(स) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण।

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ दर प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
राजेन्द्र नगर यो0सं0-02 बरेली				
दुकान (ई ब्लॉक) – 12	01	39.954	31.80	3.18
टैगोर नगर योजना, पीलीभीत				
कयोस्क भूखण्ड –के-01 (अनारक्षित)	01	4.00	28000 प्र.व.मी.	0.12
कयोस्क भूखण्ड –के-02 (अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)	01	4.00	28000 प्र.व.मी.	0.12
कयोस्क भूखण्ड –के-03 (अनारक्षित)	01	4.00	28000 प्र.व.मी.	0.12
बरेली मोड़ यो0सं0-03 शाहजहाँपुर व्यवसायिक भूखण्ड				
सी0एस0सी0-2/07 (कार्नर) अन्य पिछड़ा वर्ग	01	152.00	34496 प्र.व.मी.	5.24
सी0एस0सी0-2/08 अनु0 जाति	01	128.00	31360 प्र.व.मी.	4.02
सी0एस0सी0-2/09 सामान्य	01	128.00	31360 प्र.व.मी.	4.02
सी0एस0सी0-2/10 (कार्नर) सामान्य	01	152.00	34496 प्र.व.मी.	5.24
सी0एस0सी0-2/13 (कार्नर) सामान्य सी0सिटी0	01	152.00	34496 प्र.व.मी.	5.24
सी0एस0सी0-2/14 अनु0 जाति	01	128.00	31360 प्र.व.मी.	4.02
सी0एस0सी0-2/15 अनु0 जाति	01	128.00	31360 प्र.व.मी.	4.02
सी0एस0सी0-2/16 (कार्नर) सामान्य	01	152.00	34496 प्र.व.मी.	5.24
सी0एस0सी0-3/01 (कार्नर) सामान्य	01	166.05	34496 प्र.व.मी.	5.73
सी0एस0सी0-3/02 अनु0 जाति	01	165.15	31360 प्र.व.मी.	5.18
सी0एस0सी0-3/03 एम.पी./एम.एल.ए./ एफ.एफ. सामान्य	01	164.25	31360 प्र.व.मी.	5.15
सी0एस0सी0-3/04 (कार्नर) अन्य पिछड़ा वर्ग	01	163.35	34496 प्र.व.मी.	5.64
सी0एस0सी0-4/03 (कार्नर) सामान्य	01	174.53	34496 प्र.व.मी.	6.02
सी0एस0सी0-4/04 सामान्य	01	163.32	31360 प्र.व.मी.	5.12
सी0एस0सी0-4/05 अन्य पिछड़ा वर्ग	01	165.55	31360 प्र.व.मी.	5.19
सी0एस0सी0-4/06 (कार्नर) अनु0 जाति	01	180.29	34496 प्र.व.मी.	6.22

भवन/भूखण्डो का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ दर प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
मझोला योजना संख्या-4 भाग-2, मुरादाबाद		सेक्टरियल कन्वीनिएन्ट शॉपिंग भूखण्ड		
अन्य पिछड़ा वर्ग-7सी/सीएस-02	01	98.70	48160.00	4.76
अनारक्षित - 7सी/सीएस-01	01	112.20	48160.00	5.41
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद		दुकानें		
एस-71	01	17.49	12.30	1.23
एस-72, 73	02	16.89	11.94	1.20
एस-81, 82, 83, 84	04	16.52	11.71	1.17
एस.एफ.- 71	01	16.07	10.15	1.02
एस.एफ.-60	01	13.38	8.54	0.86
एस.एफ.-62, एस.एफ.-96	02	7.73	5.16	0.52

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/पावर ऑफ अटार्नी नोटरी द्वारा सत्यापित हो। 2. सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरस्तीकरण/कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है। 3. आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत तथा गुपहाउसिंग भूखण्डों/प्रीमियम हाउसिंग भूखण्डों एवं अनावासीय सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT जो “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद” के नाम तथा सम्बंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सीलड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक सम्बंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चेक/नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को आफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम 3 बार शामिल न किया गया हो, ऐसा मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। 4. सम्पत्तियों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/परिषद की वेबसाइट **www.upavp.in** पर प्राप्त की जा सकती है। 5. सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। 6. सशर्त (कंडीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा सम्पत्ति न लिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किये जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है। 7. शासनादेश के अतर्गत जीएसटी की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी उसका भुगतान तदानुसार अलग से करना होगा।

सामान्य नियम व शर्तें

- प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेण्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्डों हेतु अनुमन्य भू-आच्छान एफ.ए.आर. व अनुमन्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।
- समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र दो दिन पूर्व तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सांय 05:00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय में जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- निर्माणाधीन भवनों/फ्लैटों के आवंटन पर नियमानुसार कुल मूल्य पर 12.00 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कारणोवश कमी होना सम्भाव्य है।
- किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- भूमि मूल्य की परिवर्तन स्थिति तदानुसार सम्पत्ति का मूल्य देय होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये

जन सुविधा केन्द्र

1800-180-5333 (टोल फ्री), **0522-2236803**

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक

कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से
सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



(सेवोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

सर्वोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web: <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

